

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)
//सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक / 6335 भू-अर्जन / 150 / 2020

धमतरी दिनांक 27/07/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "कुरुद-गेधा-मगरलोड-धौराभाठा-खिरांरा-पांडुका मार्ग का चौड़ीकरण" हेतु ग्राम-अमलीडीह, पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग लोक निर्माण विभाग रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण				
भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी
1	3	4	5	6
श्रीमती ईश्वरी बाई पति श्री बिसरू कंवर	1021	0.20	0.0060	कलेक्टर जिला धमतरी
श्री गैदूराम पिता श्री मोतीलाल	1022/4	0.16	0.0406	
श्रीमती हेमकला पति तुरंतलाल, योगेश उर्फ रामजी, धनराज उर्फ राजू पिता तुरंतलाल, रूपेशबाई पिता तुरंतलाल हल्का	1022/3	0.17	0.0403	
श्री पातकराम पिता अलखूराम हल्का, मनमोतिन पति अलखूराम	1093	0.07	0.0120	
श्री टूलचन्द्र पिता श्री खेदूराम	1092/1	0.18	0.0352	
श्री गोपीचन्द्र पिता श्री खेदूराम	1092/2	0.18	0.0428	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर

जिला-धमतरी

धमतरी, दिनांक 27/07/2020

पृ.क्रमांक
प्रतिलिपि :-

6335
/भू-अर्जन / 150 / 2020

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग लोक निर्माण विभाग रायपुर को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार मगरलोड, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर

जिला-धमतरी